फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2021/257 बअनवान हरिसिंह बनाम दलपतसिंह वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
08/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री गणपतसिंह राजपुरोहित उपस्थित। वकील अप्रार्थी पक्ष श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। उपस्थित वकुलाय कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि ग्राम बारवा पटवार हल्का बारवा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा न0 1171, 375/1586, 376/1587, 377/1588, 379/1589 627 कुल खसरा 5 कुल रकबा 1.50 हैक्टरं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी स0 1 से 7 के संयुक्त सहखातेदारी की भूमि स्थित है। जिसके विभाजन का वाद पेश किया हुआ है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो पक्षो द्वारा इस संबध में कोई विवादित साक्ष्य पेश नही किए है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के संबध में विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के अनुसार प्रत्येक सहखातेदार का अविभाजित संयुक्त सहखातेदारी भूमि में इंच–इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है, तथा सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया हुआ है। जिससे प्रार्थीगण की मांगनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत नही है। अतः प्रार्थी गण द्वारा ग्राम बारवा तहसील बाली स्थित भूमि खसरा न0 1171, 375/1586, 376/1587, 377/1588, 379/1589 627 कुल खसरा 5 कुल रकबा 1.50 हैक्टर के संबध में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner